म न्यायालय- सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या- 86/2016 TI पुनर्विलोकन आदेश

08/02/2021 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1-3,6,7 की अंतिम बहस अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही आज अमल में लाई जा चुकी है व अप्रार्थी संख्या 5 को फौत दौराने वाद घोषित किया गया है ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा बिना विभाजन मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है क्योंकि अविभाजित भूमि पर सभी पक्षकारो का बराबर हिस्सा होता है. एक पक्षकार द्वारा अविभाजित भूमि पर निर्माण करने से बाकी पक्षकारो के अधिकारो को अपूरणीय क्षति होगी । इसलिए प्रार्थी अधिवक्ता ने अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 7 को पाबंद करने हेतु निवेदन किया ताकि निर्माण कार्य रोका जा सके । अप्रार्थी वकील 1 लगायत 3 ने इस बात पर सहमति जताई कि अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है व निवेदन किया कि यदि मौके पर निर्माण कार्य रोकने के आदेश होते है तो उनको कोई आपत्ति नही है । अप्रार्थी वकील 6, 7 ने निर्माण होने की बात को कोई खंडन नही किया । प्रार्थी द्वारा निर्माण के कई फोटोग्राफ दिए गए जो कि शामिल पत्रावली है ।

सभी पक्षों की बहस व पत्रावली का मनन कर न्यायालय ने यह पाया कि अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा अविभाजित भूमि पर निर्माण किया जा रहा है और भूमि का किस्म परिवर्तन किया जा रहा है जिससे शेष पक्षकारो को आपत्ति है क्योंकि अविभाजित भूमि के प्रत्येक इंच पर हर एक पक्षकार का बराबर हिस्सा होता है तो और पक्षकारों की असहमति के बावजूद अविभाजित भूमि पर एक पक्षकार द्वारा निर्माण कार्य करना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । अतः प्रथम दृष्टतया के आधार पर सुविधा के संतुलन को देखते हुए व वादो की बहुल्यता को रोकने के लिए यह न्यायालय उभयपक्षों को वाके ग्राम बावडी पटवार हल्का सरनाडूंगर तहसील [illegible] कृषि भूमि खसरा नंबर 279/366 रकबा [illegible] में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति [illegible] भी प्रकार का निर्माण कार्य [illegible] के निस्तारण होने तक पाबंद करता है । पत्राव[illegible] दर्ज नंबर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 08/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:19:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner